

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र-5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ~~चौखट~~
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीपेन्द्र कुमार शर्मा R.A.S

श्रीधराम वल्द हेमराम उनवान श्रीधराम पि श्रीधराम वल्द हेमराम
जाति जाट मि एल बनाम जाति जाट मि एल

दावा बाबत 88 राबत

मुकदमा नम्बर :- 167/18

निर्णय दिनांक :- 29-6-18

वादी की ओर से श्रीधराम की व प्रतिवादी की ओर से श्रीधराम की
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29-6-18 को (नाम पीठासीन अधिकारी).....
उपखण्ड अधिकारी, चौखट के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और
डिक्री दी जाती है कि -

वाद का वाद कापडा सहजति मस्कीकार का मौजा एल के खेत
खेत 111, 114, 115, 151 में वादी का नाम श्रीधराम वल्द हेमराम
के लिये पर श्रीधराम श्रीधराम वल्द हेमराम दुरस्त कले
का घोषणा का जारी है निर्णय का पालना हेतु तहसीलदार
सेवा को अधिका दिया जाता है। पत्रावली के लिये श्रीधराम
दोकर दारिजल उपतर है।



खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29-6-18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(~~श्रीधराम~~)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,.....